राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान
ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार
NIRDPR

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

www.nirdpr.org.in

संख्या: 302

प्रगति

समाचार पत्र
जुलाई 2020

प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण | अनुसंधान और अनुप्रयोग विकास | नीति प्रयोजन और समर्थन | प्रौद्योगिकी अंतरण | शैक्षणिक कार्यक्रम | अभिनव कौशल और आजीविका

बेहतर आजीविकाओं के लिए बहुआयामी फसल सुधार कार्यक्रम के माध्यम से पशुधन प्रणालियों का विस्तार

3 बेहतर आजीविकाओं के लिए बहुआयामी फसल सुधार कार्यक्रम के माध्यम से पशुधन प्रणालियों का विस्तार

विषय-सूची

6
सीगार्ड ने जीपीडीपी के लिए स्थानिक योजना पर पांच दिवसीय ऑनलाइन टीओटी का आयोजन

7
कोविड-19 से हमारे समुदायों को सुरक्षित रखना: हैदराबाद में आवासीय के कल्याण संघों के लिए मता निर्माण वेबिनार

8
सीएचआरडी ने ग्रामीण विकास पेशेवरों के लिए अनुसंधान क्रियाविधि पर ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम का किया आयोजन

9
सीडब्ल्यूई एवं एल ने किया एमजीएनआरईजीएस आयोजना और कार्यान्वयन पर तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन

10
स्वयं सहायता समूहों में बुजुर्गों और दिव्यांगों के समावेशन पर तीन दिवसीय ऑनलाइन कार्यक्रम की कार्यवाही

12
मॉडल जीपी समूह: राज्य नोडल अधिकारियों, राज्य स्तरीय निपुण प्रशिक्षकों और जिला स्तरीय निपुण प्रशिक्षकों के लिए ऑनलाइन कार्योन्मुख प्रशिक्षण कार्यक्रम

आप कोविड़ -19 के सुपरस्टार हैं

बहादुर स्वच्छता कर्मचारियों को धन्यवाद

हमारे कूड़े को इकठ्ठा करके और उन्हें पुनः प्रयोज्य में बदल कर हमारे समुदायों, शहरों को साफ़ सुथरा रखने की आपकी प्रतिबद्धता के लिए हम आपके आभारी हैं।

आपने अपनी निस्वार्थ सेवा से हमें कोविड़ -19 में सुरक्षित रहने में मदद की। आप कोविड़ -19 के सुपरस्टार हैं

बेहतर आजीविकाओं के लिए बहुआयामी फसल सुधार कार्यक्रम के माध्यम से पशुधन प्रणालियों का विस्तार

दूध, मांस और अंडों की बढ़ती मांग एक वैश्विक प्रक्रिया है लेकिन दक्षिण एशिया (भारत सहित) और उप-सहारा अफ्रीका में इसकी मांग और भी अधिक है। भारत में पशुधन उत्पादकता में सुधार के लिए चारा संसाधनों की कमी मुख्य समस्याओं में से एक है। माध्यमिक डेटा संग्रह जैसे भूमि उपयोग पद्धति, फसल पद्धति, पशुधन आबादी के माध्यम से मूल्यांकित चारा संसाधनों की मांग आपूर्ति एवं भारत में उत्पादित पशु स्रोत खाद्य पदार्थ से यह पता चला है कि शुष्क पदार्थ, ऊर्जा और प्रोटीन की कमी क्रमशः 53 प्रतिशत, 50 प्रतिशत और 61 प्रतिशत है।

उपलब्ध चारा संसाधनों के फसल अवशेषों में लगभग ७१ प्रतिशत आहार होता है। फसल अवशेष आधारित चारा योजना के लाभ का खाद्यान्न के साथ कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है और उनके उत्पादन के लिए भूमि और पानी जैसे प्राकृतिक संसाधनों के किसी भी अतिरिक्त आबंटन की आवश्यकता नहीं है।

अधिकतम पशुओं के चारे की उपज और पशुओं के चारे के पाचन संयोजन का प्राकृतिक संसाधनों की उपयोग क्षमता और किसानों की आय पर अतिरिक्त प्रभाव पड़ता है

पारंपरिक चारा संसाधनों की कमी से भविष्य में फसल के अवशेषों का महत्व बढ़ने वाला है और पशुओं के चारे की मांग में वृद्धि हुई है। हालांकि, फसल अवशेषों को अक्सर प्रोटीन, ऊर्जा, खनिजों और विटामिनों में कमी और पोषक मूल्य में कम माना जाता है, विशेष रूप से अनाज फसल अवशेष जो गौशाला के प्रौढ़ पशुओं की पोषण आवश्यकता में शायद ही सहायक हो सकते हैं।

भौतिक, रासायनिक और जैविक माध्यमों से फसल के अवशेषों के उपयोग को बेहतर बनाने का प्रयास किया गया था, लेकिन पशुपालन व्यक्तियों को प्रौद्योगिकियों के प्रति समझ कम थी। इस विफलता ने अनाज की पैदावार से समझौता किए बिना फसल अवशेषों की मात्रा और गुणवत्ता में सुधार के लिए पौधों को उगाने के जरिए एक वैकल्पिक बहुआयामी फसल सुधार कार्यक्रम का मार्ग प्रशस्त किया।

बहुआयामी फसल सुधार कार्यक्रम के परिणामस्वरूप अनाज/फली उपज के साथ-साथ फसल अवशेषों की अधिकतम मात्रा और गुणवत्ता से खाद्यान्न फसलों की उपज करने वाले बेहतर फसल की पहचान की गयी।

शहरी और अर्ध-शहरी चारा बाजारों में ज्वार पशु चारा की फसलों में मूल्य भिन्नता देखी गई। 2004 में हैदराबाद चारा बाजार में सुपाचकता में पांच प्रतिशत यूनिट की अधिकतम गुणवत्ता वाले ज्वार पशुचारे से 30 प्रतिशत प्रीमियम मूल्य प्राप्त हुआ है (चित्र 1)।

जब फसल-पशुधन वैज्ञानिकों ने मकई में पौधों की उपज कार्यक्रमों के माध्यम से खाद्य-चारा लक्षणों को लक्षित किया, तो मकई की खेती 6,600 से 9,700 किलोग्राम / हेक्टेयर की उपज के साथ और 45.4 प्रतिशत से 55.1 प्रतिशत तक की पाचन क्षमता की पहचान की गई। 6,600 किलोग्राम चारा/ हेक्टेयर फसल उपज के साथ 9,700 किलोग्राम चारा/ हेक्टेयर फसल उपज से (दोनों फसलों के चारे में 90 प्रतिशत सूखा चारा और 50 प्रतिशत पाचन क्षमता मानकर) गोशाला के गायों (400 किलो शरीरिक वजन; दूध में 4 प्रतिशत मक्खन वसा) को चारा खिलाने की तुलना के परिणामस्वरूप डेयरी के किसानों को अतिरिक्त 1,582 लीटर दूध और रु. 37,968 (4 प्रतिशत मक्खन वसा के साथ दूध की कीमत 24 रु/ लीटर मानकर) का लाभ या समान ऊर्जा उत्पादन स्थितियों में भूमि और पानी का उपयोग 30 प्रतिशत और 32 प्रतिशत से कम होगा, क्रमशः जब किसान 6,600 किलोग्राम / हेक्टेयर की उपज के साथ फसल का चयन करने की बजाय 9,700 किलोग्राम / हेक्टेयर की उपज वाली फसल का चयन करता है। है। इसी प्रकार, अधिकतम सुपाचकता वाले (50% बनाम 55%) पांच प्रतिशत यूनिट की खेती को बढ़ावा देने से रु. 39,192 के आय अंतर, समान ऊर्जा उत्पादन स्थितियों में 9 से 10 प्रतिशत तक भूमि और पानी

हैदराबाद में ज्वार का कारोबार (ढेर जो रंग में गेहुंआ होता है, बाजार में ३० फीसदी प्रीमियम मूल्य पर बेचा जाता है)

जैसे प्राकृतिक संसाधनों की बचत और 1 हेक्टेयर चारे से 40 किलोग्राम तक मिथेन (जीएचजी) उत्सर्जन को कम करने के साथ ही (90 प्रतिशत सूखा चारा मानकर) 1 हेक्टेयर फसल अवशेष से दुग्ध उत्पादन (2500 बनाम 4133) में 65 प्रतिशत की वृद्धि होगी। अधिकतम चारा उपज और चारे की सुपाचकता के संयोजन से किसानों को प्राकृतिक संसाधन उपयोग दक्षता और आय में योगशील प्रभाव पड़ता है।

वर्तमान फसल सूचकांकों के आधार पर, पशु खाद्य के लिए खाद्य संसाधन के रूप में उपलब्ध चावल और गेहूं का भूसा क्रमशः 113 और 78 मिलियन टन था, भारत में कुल अनाज के भूसे का उत्पादन का 67 प्रतिशत और कुल उपलब्ध चयापचयी ऊर्जा (एमई) का 37 प्रतिशत हिस्सा पशुओं के चारे के लिए रखा जाता है। यहां, तुलना के लिए तीन परिदृश्य प्रस्तुत किए गए हैं ताकि चावल और गेहूं के भूसे में पौधों की उपज कार्यक्रमों के माध्यम से खाद्य पदार्थों के लक्षणों में सुधार किया जा सके।

परिदृश्य 1 - चावल और गेहूं के भूसे की उपज में 10 प्रतिशत की वृद्धि

परिदृश्य 2 - चावल और गेहूं के भूसे की ऊर्जा सामग्री में 10 प्रतिशत की वृद्धि

परिदृश्य 3 - परिदृश्य 1 में दोनों का संयोजन, अतिरिक्त फसल अवशेषों का 23 मिलियन टन उपलब्ध होगा जबकि चयापचय योग्य ऊर्जा (एमई) का 138X109 मेगा जूल (एमजे) जुगाली करने वाले खाद्य के लिए परिदृश्य 3 के तहत उपलब्ध होगा। अतिरिक्त 23 मिलियन टन बायोमास के साथ ही 138X109 एमजे एमई के परिदृश्य ३ के परिणाम ने अतिरिक्त 291X109 एमजे एमई की उपलब्धता को बढ़ावा दिया, जिससे पशुओं के लिए खाद्य उत्पादन बढ़ाया गया।

जब इस अतिरिक्त भूसा और ऊर्जा संसाधनों को दूध (रखरखाव भत्ते को छोडकर) और भेड़-बकरी के मांस उत्पादन में बदल दिया जाता है, परिदृश्य 1 और 2 के अतिरिक्त ऊर्जा का परिणाम 27.6 मिलियन टन दूध या 9.2 मिलियन टन मांस के रूप में होगा और उत्पादन के वर्तमान स्तर के अतिरिक्त परिदृश्य 3 के तहत संबंधित मूल्य 58.2 मिलियन टन दूध होगा (मूल्य 24,000/लीटर दूध के फार्म गेट मूल्य पर रु. 1,397 बिलियन) या 19.4 मिलियन टन मांस (5,00,000 / टन मांस के फार्म गेट मूल्य पर 9,700 बिलियन रुपये) है।

यह राशि पूरी तरह से किसानों को जाती है, जो बदले में, उनकी आजीविका को बढ़ाती है और उक्त बढ़े हुए दूध या भेड़-बकरी के मांस उत्पादन को आसानी से प्राकृतिक संसाधनों (पानी और भूमि) के अतिरिक्त आबंटन के बिना चावल और गेहूं की फसलों में खाद्य पदार्थों के लक्षणों को लक्षित करके प्राप्त किया जा सकता है।

विभिन्न प्रसंस्करण विधियों जैसे पूरक, ब्लॉक मेकिंग, मैशिंग और पिलेटिंग को फसल अवशेष आधारित पूर्ण आहार के लिए काम में लाया गया और पालन, प्रसंस्करण लागत और परिवहन लागत पर विचार करते हुए (तालिका 1) बड़ी संख्या में भेड़-बकरियों को चारा खिलाकर खर्च के लिए परीक्षण किया गया।

पशुओं को चारा खिलाते हुए युवा (फाइल चित्र)

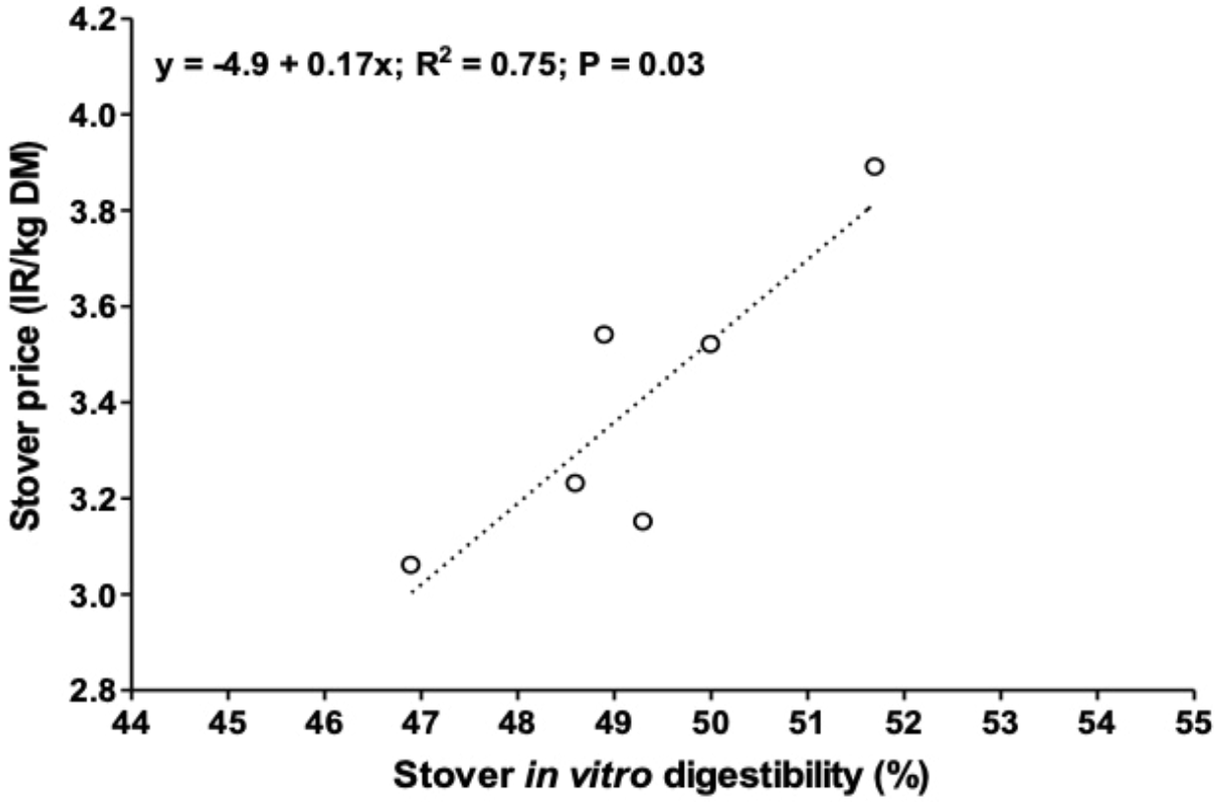

चित्र 1 : सुपाचकता और ज्वार फसल की कीमत के बीच संबंध

यदि फसल के अवशेषों का स्थानीय स्तर पर उपयोग किया जाता है, तो अनुपूरक के साथ सरल चॉपिंग किफायती है जबकि यदि 100 कि.मी. से अधिक दूरी पर परिवहन और उपयोग किया जाता है, तो प्रसंस्करण के अन्य तरीकों पर मैशिंग लाभकारी है। फील्ड ट्रायल से अंतरराष्ट्रीय पशुधन अनुसंधान संस्थान (आईएलआरआई) का अनुभव बताता है कि डेयरी पशुओं को साधारण चफिंग और चरने से दूध का उत्पादन 0.4 किलोग्राम / डी तक बढ़ गया।

इसलिए, भारत में स्थायी खाद्य सुरक्षा के लिए निवेश और समर्थन के जरिए एकल नवीन मंच पर प्लांट प्रजनकों, पशुधन वैज्ञानिकों, विस्तार श्रमिकों, व्यापारियों / उद्यमियों और छोटी-मोटी जमीन के किसानों को एक साथ लाकर छोटी-मोटी जमीन के मालिक जो पशुओं को भी पालते हैं उनके बेहतर जीवन-यापन के लिए कुशल प्रणाली में मिश्रित फसल पशु खेती का परिवर्तन बहुआयामी फसल सुधार कार्यक्रम के माध्यम से नीति निर्माताओं के लिए संभव है। कम और मध्यम आय वाले देशों में पशुधन उत्पादन प्रणालियों को और अधिक गहन करने के लिए बहुआयामी फसल सुधार कार्यक्रम के बाद अगला कार्य सुदृढ़ीकरण और उसका विस्तार है।

तालिका 1 : मीठे ज्वार खोई का प्रसंस्करण और पूरण देने तथा भेड़ पर प्रभाव

कारक	चोप्पिंग	गाढ़ा	ब्लाक	मैश	गोली
डीएमआई (ग्राम / किलो एलडब्ल्यु)	41.5[b]		42.1[b]	52.5[a]	55.6[a]
एडीजी (जी/डी)	81.3[b]		89.5[b]	132.7[a]	130.4[a]
प्रसंस्करण (रु/टी)	112.2		343.2	389.4	462
परिवहन (रु/टी/ 100 किमी)	891		343.2	435.6	382.8

डॉ. वाई. रमणा रेड्डी
प्रोफेसर एवं अध्यक्ष
मानव संसाधन विकास केंद्र

डॉ. के. कृष्णा रेड्डी
एसोसिएट प्रोफेसर,
प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन,
जलवायु परिवर्तन एवं आपदा न्यूनीकरण केंद्र,
एनआईआरडीपीआर , और

एम ब्लुम्मेल
अंतर्राष्ट्रीय पशुधन अनुसंधान
संस्थान, इथियोपिया

सीगार्ड ने जीपीडीपी के लिए स्थानिक योजना पर पांच दिवसीय ऑनलाइन टीओटी का आयोजन किया

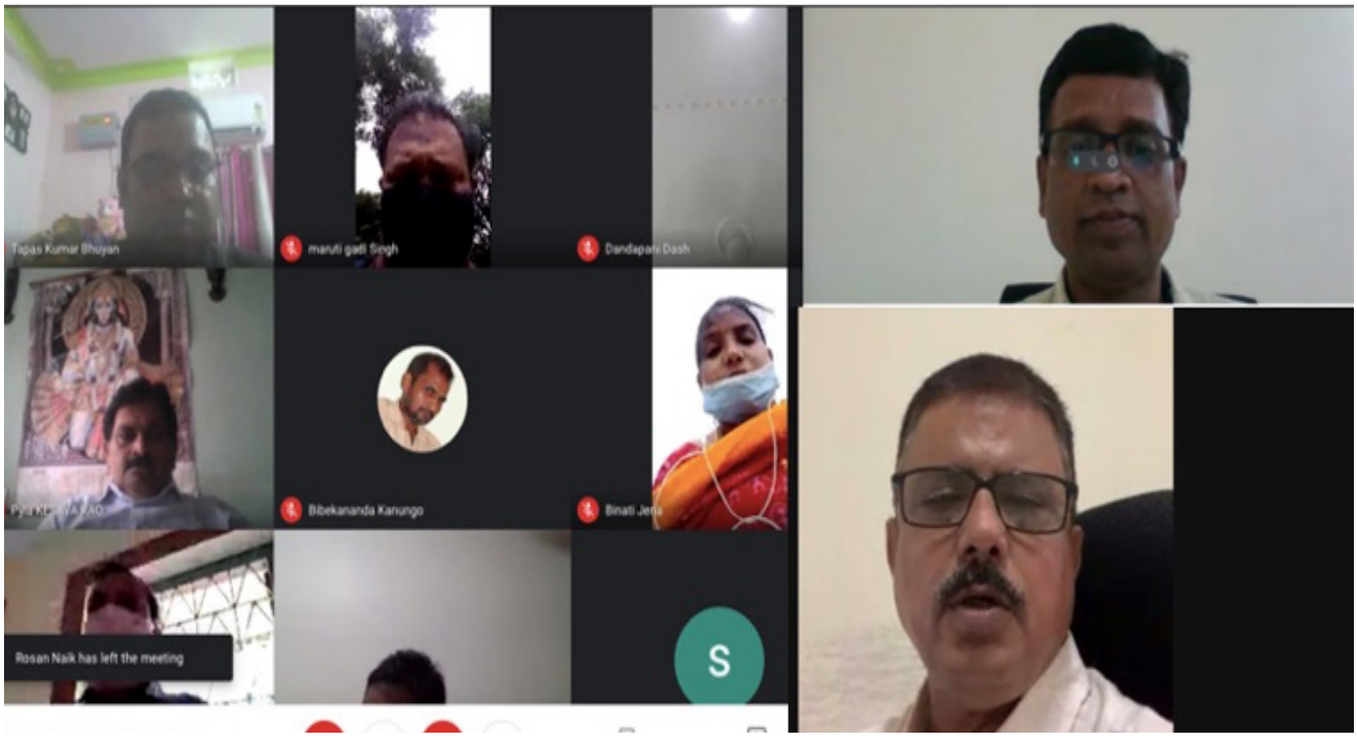

(शीर्ष दाएं से दक्षिणावर्त) डॉ. सुब्रत कुमार मिश्रा, एसोसिएट प्रोफेसर, सीएनआरएम, सीसी एवं डीएम (शीर्ष दाएं)
श्री, सरोज कुमार दास, उप-निदेशक, एसआईआरडी, ओडिशा (नीचे दाएं) (शीर्ष दाएं) और
डॉ. केशव राव, एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, सीगार्ड (बाएं से मध्य में) प्रतिभागियों के साथ वार्तालाप करते हुए

ग्रामीण विकास में भू-संसूचना अनुप्रयोग केंद्र (सीगार्ड), राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर) ने ओडिशा राज्य के प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण के लिए 'जीपीडीपी के लिए स्थानिक योजना' पर 06-10 जुलाई, 2020 तक प्रशिक्षकों के लिए पांच दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया।

कार्यक्रम का उद्घाटन श्री सरोज कुमार दास, उप निदेशक, एसआईआरडी, ओडिशा और डॉ. पी. केशव राव, एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, सीगार्ड, एनआईआरडीपीआर ने किया। श्री सरोज कुमार दास ने ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) में स्थानिक प्रौद्योगिकी उपकरणों के उपयोग के महत्व पर जोर दिया और डॉ. पी. केशव राव ने ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करते समय प्रौद्योगिकी के महत्व की जानकारी दी।

पहले दिन, डॉ. एम. वी. रविबाबू, एसोसिएट प्रोफेसर, सीगार्ड और कार्यक्रम निदेशक ने पांच दिवसीय कार्यक्रम की अनुसूची और उद्देश्यों पर प्रकाश डाला जैसे - भू-संसूचना की अवधारणायें, संपत्ति मानचित्रण के लिए मोबाइल अनुप्रयोग, जीपीडीपी की योजना और प्रबंधन के लिए जीआईएस डेटा स्तरों का विश्लेषण।

डॉ. एन.एस. प्रसाद, सहायक प्रोफेसर, सीगार्ड और कार्यक्रम के सह-निदेशक ने स्थानिक योजना में जीआईएस आधारित उपकरणों का उपयोग करने के प्रमुख बिंदुओं को रेखांकित किया जैसे कि भुवन पंचायत, ग्राम मानचित्रण और मोबाइल-आधारित अनुप्रयोगों का उपयोग करते हुए पास की संपत्ति से क्षेत्र डेटा संग्रह से प्रायोगिक व्यावहारिक दृष्टिकोण।

कुल 93 अधिकारियों ने (जिला परियोजना प्रबंधक - 27, कंप्यूटर प्रोग्रामर - 64, एसआईआरडी संकाय -1, सलाहकार -1) ऑनलाइन पंजीकारण किया और एसआईआरडी संयोजक श्री. पीके. महापात्रा, एसआईआरडी, ओडिशा ने अनुमोदित किया।

इस कार्यक्रम में, सत्रों पर प्रशिक्षकों के ज्ञान के परीक्षण के लिए एक दैनिक ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी शामिल की गई। प्रशिक्षुओं ने उन सभी सत्रों से सीखे गए उपकरणों का उपयोग करके एक नमूना-आधारित जीपीडीपी योजना तैयार की जिसमें उन्हें प्रशिक्षित किया गया । सभी प्रशिक्षकों को 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करके प्रश्नोत्तरी को पूरा करने की न्यूनतम पात्रता की आवश्यकता थी और 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य की गई थी। 9 3 पंजीकृत प्रशिक्षुओं में से, केवल के 52 प्रतिभागियों ने सफलतापूर्वक पाठ्यक्रम पूरा किया और ई-प्रमाणपत्र के लिए पात्र हुए ।

समापन सत्र में, श्री. सरोज कुमार दास, उप निदेशक, एसआईआरडी ओडिशा ने समापन भाषण प्रस्तुत किया और सभी प्रतिभागियों के साथ बातचीत की। उन्होंने विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की निगरानी करते समय अवसंरचना विकास, पारदर्शिता, जवाबदेही के लिए पंचायत स्तर पर योजना के विकास में स्थानिक प्रौद्योगिकी के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने क्षेत्र में दिन-प्रतिदिन की आधिकारिक गतिविधियों में तकनीक का उपयोग करने का भी सुझाव दिया।

इसके बाद श्री. सरोज कुमार दास ने सभी प्रतिभागियों को बधाई दी और उनकी महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया का स्वागत किया। प्रतिभागियों से प्राप्त प्रतिक्रिया के अनुसार यह कार्यक्रम सफल रहा। सभी प्रतिभागियों ने महसूस किया कि स्थानिक योजना के रूप में जीपीडीपी तैयार करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम उपयोगी था।

कोविड-19 से हमारे समुदायों को सुरक्षित रखना: हैदराबाद में निवासियों के कल्याण संघों के लिए क्षमता निर्माण वेबिनार

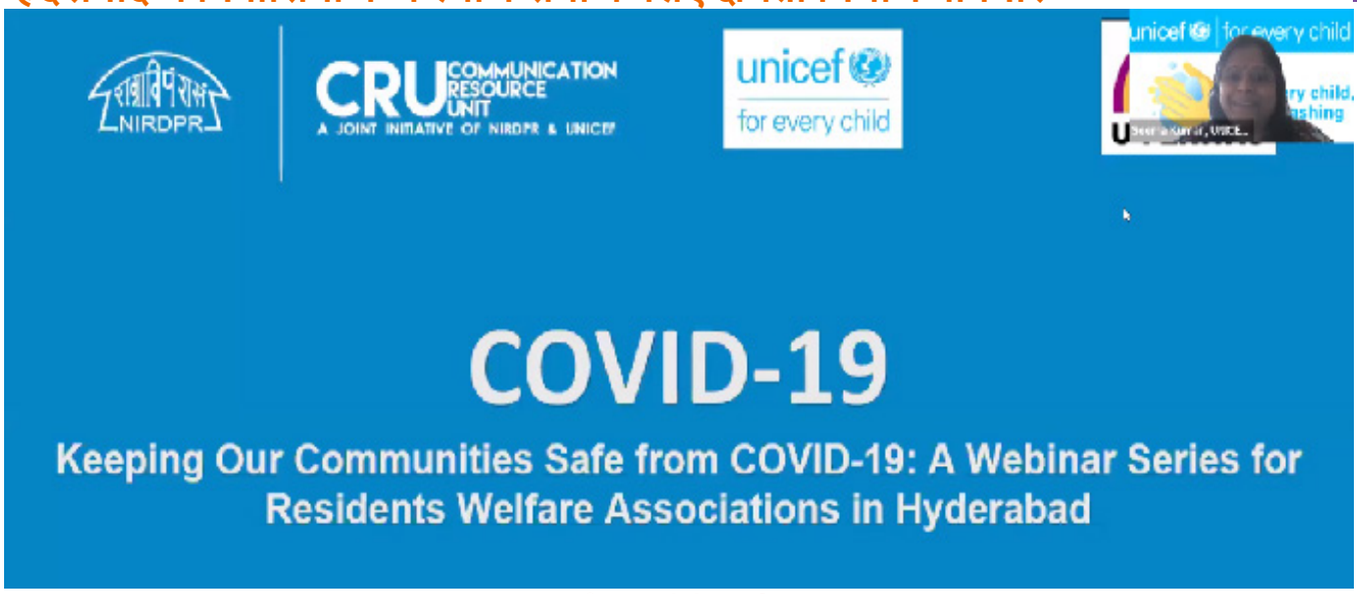

कार्यक्रम का डिजिटल पोस्टर

संचार संसाधन यूनिट, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान ने यूनिसेफ हैदराबाद कार्यालय के सहयोग से कोविड-19 की रोकथाम और नियंत्रण पर विभिन्न हितधारकों के लिए जोखिम संचार और सामुदायिक अनुबंध (आरसीसीई) पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है।

अब तक, विभिन्न महत्वपूर्ण हितधारक जैसे पंचायती राज संस्थान, स्वयं सहायता समूह, एनएसएस, एनवाईकेएस, गैर सरकारी संगठन, सामुदायिक रेडियो स्टेशन, ट्राइफेड, यूबीए, डीडीयूजीकेवाई प्रशिक्षक और राज्यों के एनआरएलएम / एसआरएलएम स्टाफ सदस्यों को कार्योन्मुख किया गया। ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का उद्देश्य प्रतिभागियों को सही जानकारी से सुसज्जित करना है और बदले में वे कोविड -19 के प्रभाव को कम करने के लिए उनके वास्तविक श्रोताओं और समुदायों तक पहुँचेंगे।

इस संदर्भ में, सीआरयू- एनआईआरडीपीआर और यूनिसेफ हैदराबाद कार्यालय ने ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम (जीएचएमसी) के साथ मिलकर 25 जुलाई, 2020 को 'कोविड -१९ से हमारे समुदायों को सुरक्षित रखने' पर आवासीय कल्याण संघों (आरडब्ल्युए) के लिए एक वेबिनार का आयोजन किया। इस वेबिनार में लगभग 257 प्रतिभागियों ने भाग लिया। आरडब्ल्युए नागरिक सामूहिक संस्था हैं जो अपने निवासियों के बीच सुरक्षित व्यवहार को बढ़ावा देकर महामारी को नियंत्रित करने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। सामाजिक रूप से निवासी अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं और बहुत सारी सूचनाओं का आदान-प्रदान करते हैं और कोविड-19 के प्रति हस्तक्षेपों और समर्थन के लिए आरडब्ल्युए की प्रशंसा करते हैं। कोविड -19 को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने हेतु संदर्भ-विशिष्ट प्रोटोकॉल विकसित करने के लिए आरडब्ल्युए को जरूरी समर्थन की आवश्यकता होती है।

यह एक संवादात्मक कार्यक्रम था जहां विशेषज्ञ पैनल ने सूचना की जरूरतों को पूरा किया जिनमें डॉ. संजीव उपाध्याय, स्वास्थ्य विशेषज्ञ-यूनीसेफ, डॉ. पुट्टराजू, डब्ल्युएचओ और पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया (पीएचएफआई) के डॉ. राजन शुक्ला शामिल थे। सत्र में पंजीकरण के दौरान प्रतिभागियों से पूछे गए प्रश्नों के साथ-साथ सत्र के दौरान उठाए गए प्रश्नों को भी संबोधित किया।

घर पर अलग से रहना, संगरोध, लक्षण, परीक्षण, निवारक उपाय, उपचार और कोविड-19 के अपशिष्ट का उचित संचालन आदि विषयों को कवर किया गया। सुश्री मीताल रसोडिया, प्रमुख, यूनिसेफ हैदराबाद क्षेत्र कार्यालय ने कोविड-19 की रोकथाम प्रयासों में रोग के विशेष लक्षणों और भेदभाव को संबोधित करने में आरडब्ल्युए की संभावित भूमिका पर जोर दिया। इस अवसर पर बोलते हुए, श्री संतोष, आईएएस, अपर आयुक्त-स्वास्थ्य जीएचएमसी ने सीआरयू एनआईआरडीपीआर और यूनिसेफ द्वारा जीएचएमसी क्षेत्र में आरडब्ल्युए के साथ यह पहल करने में उनके प्रयासों की सराहना की। श्री शंकरैय्या, अपर आयुक्त शहरी सामुदायिक विकास ने जीएचएमसी की विभिन्न गतिविधियों के बारे में विस्तार से बताया और यूएफईआरडब्ल्युएएस (यूनाइटेड फेडरेशन ऑफ रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन) और दूसरों से अनुरोध किया कि यदि आवश्यक हो तो स्कूल भवनों और सामुदायिक हॉलों में सामुदायिक संगरोध केंद्र स्थापित करने में सहायता करें। उन्होंने सदस्यों से किसी भी सहायता के लिए जीएचएमसी टोल फ्री नंबर 040-21111111 का उपयोग करने का अनुरोध किया।

वेबिनार का समापन करते हुए, सुश्री सीमा कुमार, संचार विकास विशेषज्ञ, यूनिसेफ ने कोविड-19 की रोकथाम और कम करने में आरडब्ल्युए जैसे नागरिक केंद्रित संगठनों के साथ जुड़ने की आवश्यकता पर जोर दिया। यदि आवश्यक हो, तो (प्रोटोकॉल और एसओपी (मानक संचालन प्रक्रियाएं) जीएचएमसी और आरडब्ल्युए के साथ परामर्श के माध्यम से इसे तैयार किया जा सकता है इस वेबिनार को सीआरयू-एनआईआरडीपीआर के श्री श्रीनिवास और सुश्री अरविंदा ने संचालित किया।

ग्रामीण विकास पेशेवरों के लिए अनुसंधान पद्धति पर सीएचआरडी ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम

कार्यक्रम का डिजिटल बैनर

मानव संसाधन विकास केंद्र, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान ने 29 जून से 1 जुलाई, 2020 के दौरान दीन दयाल उपाध्याय राज्य ग्राम विकास संस्थान, लखनऊ, उत्तर प्रदेश के सहयोग से 'ग्रामीण विकास पेशेवरों के लिए अनुसंधान क्रियाविधि' पर एक ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया।

एनआईआरडीपीआर के निर्देशानुसार, इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए ए-व्यू एप्लिकेशन का उपयोग किया गया । विस्तार प्रशिक्षण केंद्रों/ आरआईआरडी/ डीआईआरडी के संकाय को अनुसंधान क्रियाविधि विषय पर प्रशिक्षण देने में यह कार्यक्रम श्रृंखला में तीसरा रहा है।

कार्यक्रम के उद्देश्य इस प्रकार रहे है : (1) विकास के मुद्दों को संबोधित करने के लिए अनुसंधान क्रियाविधि के ज्ञान पर प्रतिभागियों को उन्मुख करना, (2) प्रतिभागियों को अनुसंधान करने के लिए अनुसंधान क्रियाविधि और सांख्यिकीय विधियों की मूल बातें सिखाना, और (3) अनुसंधान डिजाइन तैयार करने के लिए प्रतिभागियों को कौशल से सज्जित करना।

जिला प्रशिक्षण अधिकारी, विस्तार प्रशिक्षण अधिकारी, वरिष्ठ प्रशिक्षक, सहायक निदेशक, लखनऊ के ईटीसी, आरआईआरडी, डीआईआरडी और एसआईआरडी के मुख्य संकाय के रूप में काम कर रहे कुल 1 9 अधिकारियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया।

एनआईआरडीपीआर के संकाय के अलावा, कुछ प्रतिष्ठित स्त्रोत व्यक्ति जैसे प्रो. बी.के. बाजपेई, निदेशक एवं डॉ. अनिमेष रॉय, सहायक प्रोफेसर, गिरी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज, लखनऊ, और प्रो. मधुलिका दुबे, अध्यक्ष, सांख्यिकी विभाग, बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ को सत्र संचालन हेतु आमंत्रित किया गया ।

प्रतिभागियों का स्वागत, डॉ. वाई. रमना रेड्डी, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, मानव संसाधन विकास केंद्र, एनआईआरडीपीआर, हैदराबाद द्वारा किया गया। उन्होंने प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन में अनुसंधान और इसके उपयोग के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने आगे कहा कि जो संकाय अपने शोध कार्य को प्रकाशित नहीं करते हैं, बाद में उन पर ध्यान नहीं दिया जाएगा ।

डॉ. डी. सी. उपाध्याय, अपर निदेशक, डीडीयूएसआईआरडी, लखनऊ ने प्रतिभागियों को संबोधित किया। उन्होंने एसआईआरडी, ईटीसीएस और डीआईआरडी के संकाय के लिए ऑनलाइन अनुसंधान क्रियाविधि प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए एनआईआरडीपीआर को धन्यवाद दिया, और प्रतिभागियों से अनुसंधान की अधिकतम मूल बातें सीखने और अनुसंधान प्रस्तावों के साथ आगे आने का आग्रह किया। उन्होंने दोहराया कि सभी प्रतिभागियों को डीडीयूएसआईआरडी, लखनऊ के माध्यम से एनआईआरडीपीआर के लिए जमीनी स्तर के मुद्दों पर एक लघु शोध प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा और निष्कर्षों का उपयोग नए कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने या मौजूदा कार्यक्रम को संशोधित करने के लिए करना होगा।

डॉ. लखन सिंह, पाठ्यक्रम निदेशक ने प्रतिभागियों को पाठ्यक्रम संरचना के बारे में जानकारी दी और उनसे कार्यक्रम को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए विवेकपूर्ण ढंग से निर्देशों का पालन करने का अनुरोध किया। प्रशिक्षण के ऑनलाइन मोड को ध्यान में रखते हुए, हर दिन अधिकतम तीन घंटे का सत्र आयोजित करने का निर्णय लिया गया।

कार्यक्रम विषयों के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सत्रों को इस तरह से तैयार किया गया कि इसमें अनुसंधान क्रियाविधि की सभी मूल अवधारणाओं का समावेशन हो । कवर किए गए कार्यक्रम की सामग्री प्रशिक्षण कार्यक्रमों को डिजाइन करने, अनुसंधान समस्या की पहचान और परिभाषित करने, अनुसंधान प्रस्ताव, कार्यप्रणाली लिखने: नमूना और नमूनाकरण, डेटा विश्लेषण: वर्णनात्मक और आनुमानिक आंकडों की मूल बाते, शोध के प्रकार और डेटा, सामाजिक विज्ञान अनुसंधान की अवधारणा, डेटा विश्लेषण के लिए एसपीएसएस की मूल बातें, और अनुसंधान अध्ययन के लिए उपकरण में अनुसंधान के लिए प्रासंगिक थे।

प्रतिभागियों द्वारा कार्यक्रम को सराहा गया और उन्होंने एनआईआरडीपीआर से एक विशेष कार्यक्रम आयोजित करने की मांग की, जो शोध प्रस्ताव विकसित करने और शोध रिपोर्ट लिखने में संकाय का काम कर सके।

अंत में, प्रतिभागियों द्वारा कार्यक्रम का मूल्यांकन किया गया। रिपोर्ट से, यह स्पष्ट है कि इस कार्यक्रम में भाग लेने के बाद प्रशिक्षु के तीनों क्षेत्र अर्थात, ज्ञान (90 प्रतिशत), कौशल (92 प्रतिशत) और दृष्टिकोण (90 प्रतिशत) में सुधार हुआ है। कार्यक्रम की कुल प्रभावशीलता 90 प्रतिशत से अधिक थी। पाठ्यक्रम टीम ने दोहराया कि सभी प्रतिभागी छोटे पैमाने पर अनुसंधान करने में एनआईआरडीपीआर के अनुसंधान निधि का उपयोग कर सकते हैं। उन्होंने अनुसंधान प्रस्तावों को तैयार करने में एसआईआरडी, ईटीसी के संकाय को अपनी सहायता का विस्तार करने की रुचि व्यक्त की। कई प्रतिभागियों ने अनुसंधान प्रस्ताव विकसित करने में अपनी रुचि दिखाई।

कार्यक्रम का संयोजन डॉ. लखन सिंह, सहायक प्रोफेसर, मानव संसाधन विकास केंद्र और डॉ. डी. सी. उपाध्याय, अपर निदेशक, डीडीयूएसआईआरडी, लखनऊ ने किया।

सीडब्ल्युई एवं एल ने एमजीएनआरईजीएस योजना और कार्यान्वयन पर तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया

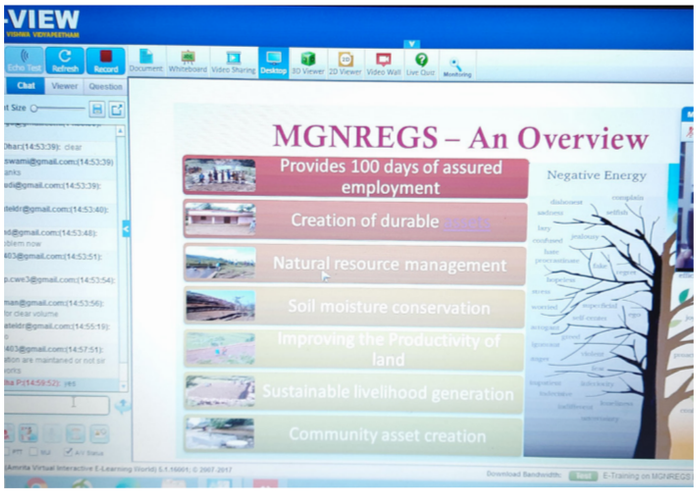

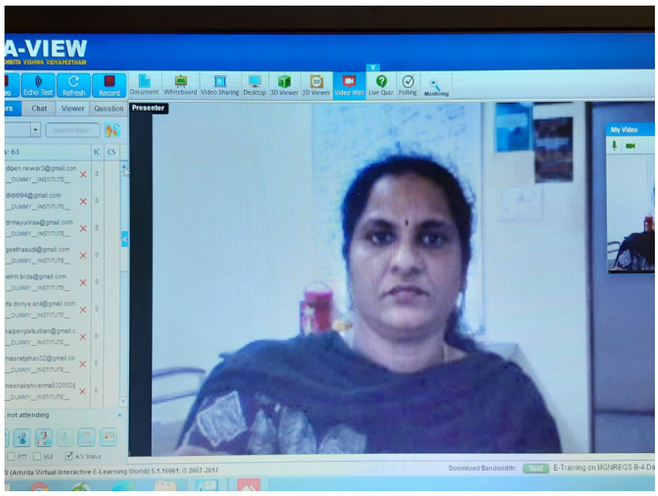

प्रशिक्षण कार्यक्रम का मुख पृष्ठ (बाएं) और सत्र का संचालन करते हुए डॉ. अनुराधा पल्ला, सहायक प्रोफेसर, सीडब्ल्युई एवं एल (दाएं)

27-29 जुलाई, 2020 के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद के मजदूरी रोजगार एवं श्रम केन्द्र द्वारा 'एमजीएनआरईजीएस योजना एवं कार्यान्वयन: कार्य, दिशानिर्देश, मास्टर परिपत्र और कार्यान्वयन प्रक्रिया पर नौसिखियों के लिए प्रशिक्षण' विषयक तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह एक ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम था जिसमें ए-व्यू सॉफ्टवेयर का उपयोग किया गया।

कार्यक्रम के उद्देश्य में एमजीएनआरईजीएस दिशानिर्देशों और कार्यान्वयन प्रक्रिया से प्रतिभागियों को परिचित करना और एमजीएनआरईजीएस की सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना शामिल हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम में एमजीएनआरईजीएस योजना, एमजीएनआरईजीएस का कार्यान्वयन और श्रेष्ठ पद्धतियाँ (कार्योन्मुखता और आजीविका) जैसे विषयों को कवर किया गया।

केंद्र को विभिन्न विभागों से 1200 नामांकन प्राप्त हुए। सभी प्रतिभागियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सीडब्ल्युई एवं एल टीम ने उन्हें छह बैचों में विभाजित करने और तीन स्लॉट में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया गया। बैच 1 और 2 के लिए 27 - 29 जुलाई, 2020 के दौरान प्रशिक्षण आयोजित किया गया। बैच 1 में कुल 86 प्रतिभागी और बैच 2 में 112 प्रतिभागियों ने भाग लिया। 5 – 7 अगस्त, 2020 के दौरान बैच 3 और बैच 4 के लिए प्रशिक्षण आयोजित किए गए। कुल 124 प्रतिभागियों ने बैच 3 और बैच 4 में भाग लिया। बैच 5 और बैच 6 के लिए 12 -14 अगस्त, 2020 निर्धारित किया गया है और ए-व्यू में 400 प्रतिभागियों को निमंत्रण भेजा गया।

कार्यक्रम के प्रतिभागी ग्रामीण विकास और ब्लॉक और जिला स्तर पर एमजीएनआरईजीएस का कार्यान्वयन कर रहे अन्य लाइन विभागों का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकारी, एसआईआरडीपीआर और ईटीसी के संकाय थे। कार्यक्रम के सफल समापन के बाद सभी प्रतिभागियों को ई-प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। सभी सत्रों में भाग लेना और ऑनलाइन मूल्यांकन प्रदान करना अनिवार्य था। पाठ्यक्रम दल में डॉ. अनुराधा पल्ला, डॉ. दिगंबर ए. चिमनकर, डॉ. ज्योतिस सत्यपालन और डॉ. राज कुमार पम्मी, सीडब्ल्युई एंड एल, एनआईआरडीपीआर शामिल थे।

मैं भारत में राज्य के साथ-साथ संस्थान के प्रबंधन और प्रशिक्षण कार्यक्रम दल को इस महान प्रयास और अपने क्षेत्र में हममें रुचि बढ़ाने के लिए प्रतिष्ठित वैज्ञानिक और व्यावहारिक पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए तहे दिल से धन्यवाद और प्रशंसा करता हूं।

फ्राग मोहम्मद अविद एल्सबी
कृषि संकाय- दमियत्ता
विश्वविद्यालय – ईजिप्त

यह मेरे लिए मनरेगा और ग्रामीण विकास अधिकारियों के बारे में नई चीजें सीखने का एक शानदार अवसर है, जिसके बारे में मैं पहले अनजान था। कार्यक्रम ने मेरे ज्ञान और सरकारी अधिकारियों की समझ को बढ़ाया है। इससे मेरा आत्मविश्वास भी बढ़ा है।

रिसपाल मीणा

इस अद्भुत कार्य के लिए डॉ. अनुराधा पल्ला, पाठ्यक्रम निदेशक को मेरा विशेष धन्यवाद और मैं प्रयासों की सराहना करता हूं और प्रशिक्षण की तैयारी तथा निष्पादन में शामिल उन सभी को धन्यवाद देता हूं।

रविंदर कुमार
कंप्यूटर ऑपरेटर, मनरेगा,
डीआरडीए, रोहतक, हरियाणा

एक प्रतिभागी के रूप में, मुझे मनरेगा के बारे में मूल ज्ञान और ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के कार्यान्वयन के बारे में बहुत सारी व्यावहारिक जानकारी प्राप्त हुई है। इस प्रशिक्षण से प्राप्त ज्ञान से मुझे उप. कलेक्टर (ईजीएस) के रूप में कार्यान्वयन करने में मदद मिलेगी। सैद्धान्तिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए डॉ. अनुराधा मैडम और अन्य परामर्शकों का धन्यवाद।

विजया जाधव
उप. कलेक्टर (ईजीएस), गढ़चिरौली,
महाराष्ट्र

स्वयं सहायता समूहों में बुजुर्गों और दिव्यांगों (पीडब्ल्युडीएस) के समावेशन पर तीन दिवसीय ऑनलाइन कार्यक्रम की कार्यवाही

दिव्यांग (बाएं) और बुजुर्ग स्वयं सहायता समूह के सदस्य (दाएं)

कमजोरियों के साथ जीने वाले लोग समाज में कई असुविधाओं का सामना करते हैं और अक्सर उन्हें कलंक और भेदभाव का शिकार होना पड़ता है। सीमान्तीकृत दिव्यांग और बुजुर्ग व्यक्ति समूहों के लिए समाज के भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण और उनके द्वारा अनुभव किए गए विभिन्न सामाजिक आर्थिक बाधाओं से बाहर निकलने के लिए बुनियादी सेवाओं की पहुंच की कमी जैसे अन्य जटिलताओं के कारण आजीविका के मुद्दे अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। भारत सरकार ने बुजुर्गों और दिव्यांगों की आजीविका और जीवन की गुणवत्ता को सुधारने के लिए कई योजनाएं आरंभ की हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) में बुजुर्ग और दिव्यांगों जैसे अत्यंत गरीब और कमजोर वर्गों के समावेशन पर विशेष ध्यान दिया गया है ताकि उनकी आजीविका अवसरों को सुधारा जा सके। इस संबंध में, एनआरएलएम ने राजस्थान, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश राज्यों के सामाजिक समावेश और सामाजिक विकास (एसआई और एसडी) के ब्लॉक एवं जिला कार्यक्रम प्रबंधकों के लिए तीन दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम (27 -29 जुलाई, 2020) का आयोजन किया। जिसमें कुल 106 प्रतिभागी थे, जिनमें 41 महिलाएं और 65 पुरुष शामिल थे। प्रशिक्षण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बुजुर्गों और दिव्यांगों की पहचान और उनका आकलन करना था और वित्तीय समावेशन, आजीविका आदि जैसी विभिन्न क्रियाकलापों में उन्हें शामिल करना था। इसके अलावा, उन्हें वित्तीय और आजीविका सुरक्षा प्रदान करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में बुजुर्गों और दिव्यांगों का स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) का सृजन करते हुए गरीबी उन्मूलन पर ध्यान दिया गया।

कार्यक्रम की शुरुआत कार्यक्रम संयोजक, एनआरएलएमआरसी, एनआईआरडीपीआर द्वारा स्वागत भाषण और प्रतिभागियों के स्व-परिचय से हुई। जोखिम घटौती निधि और पीडब्ल्युडी एवं बुजुर्ग लोगों की आजीविका अवसरों को बेहतर बनाने के लिए उन्हें एसएचजी में शामिल करने पर चर्चा हुई। श्री राजेश्वर देवरकोंडा, कार्यक्रम प्रमुख और मिशन प्रमुख - लाइवलीहुड हेल्पएज इंडिया,

स्रोत व्यक्ति, ने सामाजिक समावेश और सामाजिक विकास: उम्रदराजी का सामना करना - बुजुर्ग और उनके एसएचजी पर प्रस्तुति दी । एसएचजी में बुजुर्ग लोगों की भागीदारी उनकी आजीविका और समानता को सुरक्षित करने के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए, उन लोगों की पहचान करना और उन्हें आर्थिक गतिविधियों में शामिल करना आवश्यक है। बुजुर्गों और पीडब्ल्युडी को एसएचजी में शामिल किए बिना, एनआरएलएम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता है। एनआरएलएम का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन है; इसलिए, एनआरएलएम की एक रणनीति एसएचजी के माध्यम से बुजुर्ग लोगों और पीडब्ल्युडी को मुख्यधारा से जोडना है। बुजुर्ग लोग कई चुनौतियों का सामना करते है जैसे स्वास्थ्य, आर्थिक असुरक्षा, अलगाव, उपेक्षा, दुर्व्यवहार, भय, ऊब, कम आत्मसम्मान, नियंत्रण खोना और बुढ़ापे के लिए तैयार नहीं होना आदि। इसलिए, उनकी कई कमजोरियों को दूर करने के लिए उन्हें वित्तीय गतिविधि में शामिल करना महत्वपूर्ण है ।

इसके अलावा बुजुर्ग लोगों की पहचान करना और उनकी समस्याओं को समझने पर ध्यान देने की आवश्यकता है। विभिन्न राज्यों के जिला कार्यक्रम प्रबंधकों (डीपीएम) और ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधकों (बीपीएम) की मदद से समुदाय स्रोत व्यक्ति (सीआरपी) एसएचजी में बुजुर्ग लोगों की पहचान और संग्रहण के लिए मदद प्रदान कर सकते हैं। बुजुर्ग लोगों को ईएसएचजी के लिए तीन समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है और उनकी आवश्यकताओं के अनुसार उनका समर्थन किया जा सकता है, अर्थात 1. कार्यशील बुजुर्ग (ईएसएचजी के माध्यम से आजीविका का समर्थन) 2. निराश्रित बुजुर्ग (क्षमता निर्माण संगठनों द्वारा निर्वाह और उपशामक देखभाल) 3. सहायता प्राप्त बुजुर्ग (ईएसएचजी + स्वास्थ्य देखभाल द्वारा आजीविका समर्थन)। भेद्यता विषयों के आधार पर शिनाख्त कमजोर समूहों, प्रगणित श्रेणियों, व्यक्तिगत आवश्यकताओं, और विषयगत मॉड्यूल की तैयारी, विसर्जन प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के आधार पर भेद्यता न्यूनीकरण योजना तैयार की जानी चाहिए।

सुश्री वी. दीपा राजकमल, सीईओ, टीएनवीआरसी और एनआरओ, टीएनएसआरएलएम-तमिलनाडु ने तमिलनाडु के एसएचजी में पीडब्ल्युडी और बुजुर्गों को शामिल करने के अनुभवों को साझा किया। ग्रामीण आबादी के बीच सामाजिक रूप से कमजोर लोग तीव्र गरीबी, परिवार और सामुदायिक सहायता की कमी, वृद्धावस्था और अस्वस्थता के कारण अस्तित्व के लिए संघर्ष करते हैं। कमजोर लोगों को उनके मूल अधिकारों और हकदारिता तक पहुंचने से वंचित कर दिया जाता है। इसलिए, बहु-विषयक दृष्टिकोण से गरीबी और भेद्यता का विश्लेषण करने की आवश्यकता है। कमजोर समूहों के महत्व और उनके परिवार में उनके योगदान के बारे में परिवार के सदस्यों को संवेदनशील बनाना आवश्यक है क्योंकि बुजुर्ग और पीडब्ल्युडी अलाभकारी हैं। राज्यों को बुजुर्गों और पीडब्ल्युडी के एसएचजी के गठन के लिए ग्रामीण स्तर पर अनुभव प्रदान करने के लिए सुविधाकर्ताओं के लिए एक आवश्यकता मूल्यांकन प्रोटोकॉल विकसित करना चाहिए। पीडब्ल्युडी और बुजुर्गों के समावेशन से समुदाय के साथ-साथ पूरे देश की उपयोगिता और मानव क्षमता में वृद्धि होगी।

ग्रामीण विकास मंत्रालय और सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय और राज्य सरकारों द्वारा लागू किए गए विभिन्न केंद्रीय और राज्य योजनाएं बुजुर्ग लोगों और पीडब्ल्युडी के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के साथ समानांतर में चल रही हैं। हालांकि, पीडब्ल्युडी और बुजुर्गों को मुख्यधारा में शामिल करने के लिए उन्हें पहचानना महत्वपूर्ण है। पीडब्ल्युडी और बुजुर्गों की पहचान के लिए ग्राम सभा प्राथमिक मंच है, इसके बाद आवश्यकता मूल्यांकन शिविर, प्राथमिकता सूची, अभिसरण के माध्यम से अधिकार और विशेष समूह गठन आदि। कमजोर समूहों के कौशल, आराम स्तर को सुधारने और दिव्यांगो एवं बुजुर्गों की विभिन्न आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए क्षमता निर्माण और अन्य प्रशिक्षण आयोजित किए जाने चाहिए।

पीडब्ल्युडी और बुजुर्गों द्वारा तय किए अनुसार प्राथमिकता के आधार पर व्यक्तिगत सहायता प्रदान किया जा सकता है। पीडब्ल्युडी और बुजुर्ग एसएचजी के समावेशन के लिए, ग्राम पंचायत/ एसआई और एसडी को राज्य स्रोत व्यक्ति (एसआरपी) और जिला स्रोत व्यक्ति (डीआरपी) को एकजुट करने के लिए एक उपयुक्त सामुदायिक कैडर की पहचान करनी चाहिए। प्रत्येक राज्य को कमजोर लोगों की मूल पहचान, अभिमुखीकरण, गणना, वर्गीकरण, समूह गठन, और भेद्यता घटौती योजना पर प्रशिक्षित किया जाएगा। विशिष्ट व्यक्तिगत शारीरिक और मनोवैज्ञानिक समस्याओं को दूर करने के लिए सामुदायिक कैडर और विशेष समूह सुविधाकर्ता को पुनर्वास प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। एनआरपी के साथ एसआरपी और डीआरपी घरेलू और सामाजिक कार्यकर्ताओं को जुटाने के लिए सीआरपी को प्रशिक्षण प्रदान कर सकते हैं। कमजोर लोगों की पहचान के लिए एसईसी डेटा को एक आधार के रूप में लिया जा सकता है। समूह गठन के मानदंड भिन्न-भिन्न हो सकते हैं, सभी आयु वर्ग (18 वर्ष से कम आयु में, माता-पिता में से कोई एक संरक्षक होगा), न्यूनतम पांच सदस्य और किसी भी प्रकार की विकलांगता।

पीडब्ल्युडी और बुजुर्गों के समावेशन के लिए समयबद्धता पर चर्चा के साथ कार्यक्रम संपन्न

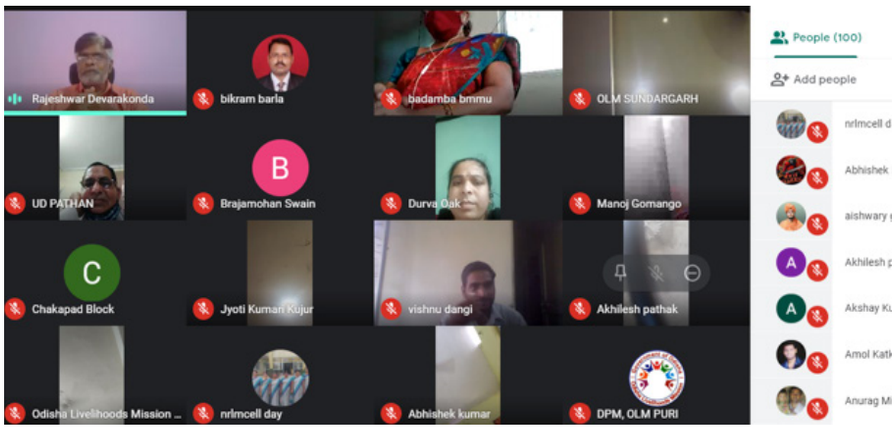

डॉ. राजेश्वर देवरकोंडा द्वारा एसएचजी में बुजुर्गों को शामिल करने पर प्रस्तुति

मॉडल जीपी समूह : राज्य नोडल अधिकारियों, राज्य-स्तरीय निपुण प्रशिक्षकों और जिला-स्तरीय निपुण प्रशिक्षकों के लिए ऑनलाइन कार्योन्मुख प्रशिक्षण कार्यक्रम

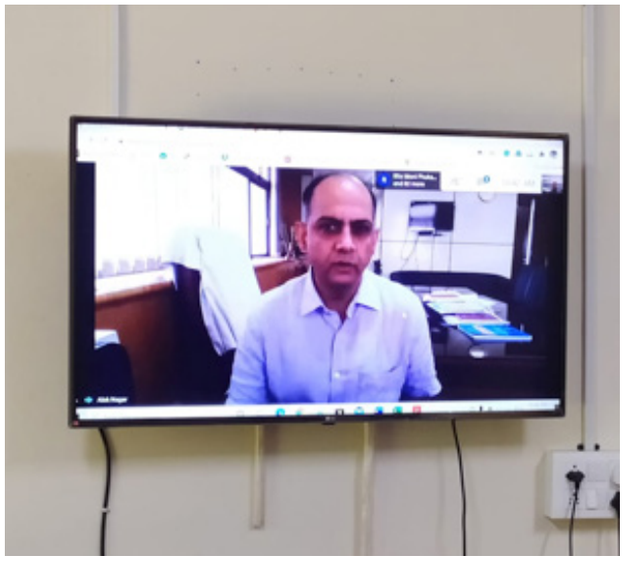

एनआईआरडीपीआर में कार्य अनुसंधान परियोजना दल के सदस्य (बाएं) और श्री आलोक प्रेम नगर, संयुक्त सचिव, पंचायती राज मंत्रालय (दाएं)

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर) के पंचायती राज, विकेंद्रीकृत योजना और सामाजिक सेवा वितरण केंद्र (सीपीआरडीपी और एसएसडी), ने राज्य नोडल अधिकारियों (एसएनओ) , राज्य-स्तरीय निपुण प्रशिक्षकों (एसएलएमटी) और जिला-स्तरीय निपुण प्रशिक्षकों (डीएलएमटी) के लिए दिनांक 29 - 31 जुलाई, 2020 के दौरान मॉडल जीपी क्लस्टर्स परियोजना पर तीन दिवसीय ऑनलाइन अभिमुखीकरण प्रशिक्षण आयोजित किया। कार्यक्रम में असम, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मणिपुर, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल राज्यों और अंडमान-निकोबार द्वी3प (केन्द्र शासित प्रदेश) से प्रतिभागी उपस्थित हुए। प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य मॉडल जीपी क्लस्टर बनाने के लिए लक्ष्यों और उद्देश्यों, दृष्टिकोण, विशिष्ट चरित्र, कार्यान्वयन की कार्यप्रणाली, महत्वपूर्ण परिणाम और परियोजना के मील के पत्थर और प्रमुख अधिकारियों, साझेदार संस्थानों एवं और अन्य हितधारकों, जो पूरे भारत में 250 मॉडल जीपी की क्लस्टर तैयार करने के लिए परियोजना से जुड़े हैं की भूमिका और जिम्मेदारियों पर प्रतिभागियों को उन्मुख करना था। कोविड -19 महामारी की स्थिति को देखते हुए यह एक ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम रहा है ।

श्री आलोक प्रेम नागर, संयुक्त सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मुख्य भाषण प्रस्तुत किया गया । उन्होंने तीन दिवसीय अभिमुखीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया। उन्होंने जीपी स्तर पर सहभागी तरीके से वार्षिक ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) के साथ एक परिप्रेक्ष्य योजना को विकसित करने के महत्व के बारे में बात की। उन्होंने आगे कहा, "युवा छात्र परियोजना के आधार की तरह हैं, जो परियोजना के उद्देश्यों को पूरा करने में महत्वपूर्ण होंगे।"

प्रशिक्षण के दूसरे दिन श्री एस.एस. प्रसाद, निदेशक, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वागत भाषण प्रस्तुत किया गया। अपने संबोधन के दौरान, उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि परियोजना नई है और इसके परिणामों के संदर्भ में काफी उम्मीदें हैं। उन्होंने आगे उल्लेख किया कि परियोजना की सफलता के लिए एसएनओ, एसएलएमटी और डीएलएमटी का समर्थन और स्वामित्व महत्वपूर्ण है।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में निम्नलिखित विषयों को कवर किया गया: i) समग्र और सतत विकास को प्राप्त करने की रणनीति के रूप में जीपीडीपी ii) जीपीडीपी में गुणवत्ता के मुद्दे और उन्हें प्राप्त करने का साधन iii) मॉडल जीपी क्लस्टर तैयार करने के लिए लक्ष्य और उद्देश्य, कार्यान्वयन की कार्यप्रणाली, महत्वपूर्ण परिणाम और परियोजना के निष्कर्ष iv) गुणात्मक जीपीडीपी के लिए एक पूर्व शर्त के रूप में परियोजना जीपी की संस्थागत मजबूती v) प्रभावी जीपी के कामकाज के संदर्भ में एमओआरपी का मिशन अंत्योदय डेटा और ई-ग्राम स्वराज पोर्टल की प्रासंगिकता vi) स्वैच्छिक कार्यों के आधार पर विकास के समुदाय-आधारित, समुदाय-प्रबंधित और समुदाय- स्वामित्व प्रक्रिया vii) आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय और एसडीजी की चुनौतियों का सामना करने और जीपी के प्रभावी कामकाज में सकारात्मक अंतर पैदा करने और मॉडल जीपी के निर्माण में परियोजना की भूमिका।

प्रतिभागियों ने कार्यान्वयन व्यवस्था, निधि पोषण तंत्र और राज्यों की भूमिका के बारे में सवाल पूछे। सभी सवालों के जवाब विस्तार से दिए गए और प्रतिभागियों को आगे की रीडिंग के लिए परियोजना से संबंधित सभी सामग्री प्रदान की गई।

श्री दिलीप कुमार पाल, परियोजना टीम लीडर और मॉडल जीपी क्लस्टर के लिए परियोजना दल के पीएमयू टीम के साथ डॉ. अंजन कुमार भंझ, एसोसिएट प्रोफेसर, सीपीआरडीपी एवं एसएसडी, एनआईआरडीपीआर द्वारा कार्यक्रम का संयोजन किया गया।

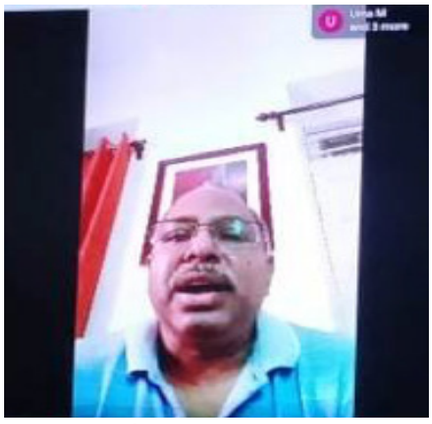

प्रशिक्षण कार्यक्रम के दूसरे दिन स्वागत भाषण प्रस्तुत करते हुए श्री एस.एस. प्रसाद, निदेशक, पंचायती राज मंत्रालय

पृथ्वी हर इंसान की जरूरतों को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त प्रदान करती है न कि हर आदमी के लालच को ।
- महात्मा गांधी

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान
ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार
राजेन्द्रनगर, हैदराबाद – 500 030

टेलिफोन : (040)-24008473, फैक्स: (040)-24008473
ई मेल : cdc.nird@gov.in, वेबसाईट: www.nirdpr.org.in

प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण | अनुसंधान और अनुप्रयोग विकास | नीति प्रयोजन और समर्थन | प्रौद्योगिकी अंतरण | शैक्षणिक कार्यक्रम | अभिनव कौशल और आजीविका

श्रीमती अल्का उपाध्याय, आईएएस, महानिदेशक, एनआईआरडी एवं पीआर
श्रीमती राधिका रस्तोगी, आईएएस, उप महानिदेशक, एनआईआरडी एवं पीआर

सहायक संपादक: कृष्णा राज के.एस.
विक्टर पॉल
जी. साई रवि किशोर राजा
एनआईआरडी एवं पीआर
राजेन्द्रनगर, हैदराबाद – 500 030 की ओर से
डॉ. आकाँक्षा शुक्ला, एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, सीडीसी द्वारा प्रकाशित

हिन्दी संपादन:
अनिता पांडे
हिन्दी अनुवाद:
ई. रमेश, वी. अन्नपूर्णा, रामकृष्णा रेड्डी, श्री अशफाख हुसैन